

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 52]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 1976/साध 7, 1897

No. 52]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 1976 /MAGHA 7, 1897

हस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th January 1976

S.O. 67(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) S.O. 72(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Hind Cycles Limited, Bombay (Bombay Unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas the Central Government in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) by Order No. S.O. 54(E)/18FB/IDRA/75, dated the 28th January, 1975, extended the duration of the said Order upto the 28th January, 1976;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 28th January, 1977.

[No. F.2(16)/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

का० आ० 67 (अ)/18 एक० बी० आई० डी० आर० ए०/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० 72 (अ)/18 च ख / उ० वि० वि० अ० /74 तारीख 29 जनवरी, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 19 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र, करार, परिनिर्धारण, पंवाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखत (उनसे भिन्न जो बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका मेसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई, (मुम्बई एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनि एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी आधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे,

और भारत सरकार, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने आदेश सं० का० आ० 54 (अ) /18 च ख / उ० वि० वि० अ०/75 तारीख 29 जनवरी, 1975 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 28 जनवरी, 1976 तक बढ़ा दिया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश को अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 28 जनवरी, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० का० 2 (16)/73 सी० यू० सी०]

डी० के० समसेना, संयुक्त सचिव।